भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3296
जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

**कानूनी सहायता और डिजिटल न्याय वितरण तक पहुंच**

**3296. श्री पी. सी. मोहन :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की कर्नाटक सहित राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर बेंगलुरु एवं अन्य शहरी केंद्रों में जिला एवं तालुक स्तरीय न्यायालयों अदालती कार्यवाही एवं कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितना बजटीय आवंटन किया गया है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) :** विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन आने वाले फायदाग्राहियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने का उपबंध करने के लिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन किया गया था, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य निःशक्ताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए, और लोक अदालतों का विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए आयोजन किया जाए। इसके अतिरिक्त, नालसा ने निवारक और सामरिक विधिक सेवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न स्कीमें भी तैयार की हैं, जिनका कार्यान्वयन

विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न स्तरों, अर्थात् राज्य, जिला और तालुका स्तर पर किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आरंभ किए गए विभिन्न गतिविधियों/ कार्यक्रमों के अधीन फायदाग्राहियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (कर्नाटक सहित) ब्यौरे उपाबंध-क पर है।

**(ख) और (ग) :** ई-न्यायालय परियोजना के अधीन न्यायालय प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार लाने और विभिन्न पणधारियों, जैसे वकीलों, वादियों, न्यायाधीशों और अन्य व्यक्तियों के लिए सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

i. डिजिटल मामला प्रबंधन प्रणाली के अधीन, वकीलों के लिए ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) को उन्नत विशेषताओं के साथ शुरू किया गया है, जिससे वे 24x7 किसी भी अवस्थान से मामलों से संबंधित दस्तावेजों तक पहुंच बना सकें और उन्हें अपलोड करा सकें।

ii. शुल्क आदि के बाधा मुक्त अंतरण के लिए ई-भुगतान प्रणाली शुरू की गई है।

iii. प्रौद्योगिकी आधारित प्रक्रिया सम्मन की तामील और जारी करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया सेवा और ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) शुरू की गई है।

iv. एक निर्णय खोज पोर्टल शुरू किया गया है जिसमें बेंच, मामला प्रकार, मामला संख्या, वर्ष, याची/प्रत्यर्थी का नाम आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह सुविधा सभी को निःशुल्क प्रदान की जा रही है।

v. नागरिक-केंद्रित सेवाओं तक सहज और बाधा मुक्त पहुंच को सुकर बनाने के लिए, 1814 ई-सेवा सुविधा केन्द्र पूरे भारत में स्थापित किए गए हैं ।

vi. यातायात संबंधी अपराधों का विचारण करने के लिए 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 29 वर्चुअल न्यायालय कार्यरत हैं।

vii. वकीलों/वादियों के लिए मामला प्रास्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि पर कई ई-न्यायालय सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें एसएमएस पुश एंड पुल, ईमेल, बहुभाषी ई-न्यायालय सेवा पोर्टल, सूचना कियोस्क, वकीलों/वादियों के लिए ई-न्यायालय मोबाइल ऐप ( आज तक 3.16 करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (आज तक 21,716 डाउनलोड) शामिल हैं।

viii. अधिक वास्तविकता, एकरूपता, पारदर्शिता और तीव्रता लाने के लिए, देश भर के जिला और तालुका न्यायालयों में मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस) संस्करण 4.0 सॉफ्टवेयर कार्यान्वित किया गया है।

कर्नाटक में, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर और संबंधित हार्डवेयर सहित पर्याप्त आईटी अवसंरचना उपलब्ध कराई गई है। न्यायालय परिसर स्तर पर, कियोस्क संस्थापित किए गए हैं, और प्रत्येक न्यायालय परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं से युक्त हेल्प डेस्क

के रूप में कार्य करने के लिए ई-सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। ई-न्यायालय परियोजना के अधीन, कर्नाटक सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता सहित, सभी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है। राज्य सरकार ने ई-सेवा केन्द्रों की स्थापना करने के लिए अनुपूरक निधि भी आवंटित की है ।

ई-न्यायालय परियोजना के चरण-3 के अधीन, कर्नाटक उच्च न्यायालय के लिए किया गया बजटीय आवंटन निम्नानुसार है:

| वित्तीय वर्ष | जारी की गई राशि ( करोड़ रुपये में ) |
|---|---|
| 2023-24 | 35.86 |
| 2024-25 | 67.65 |
| 2025-26 | 48.06 |
| कुल | 151.57 |

भारत में जिला और तालुक (उप-जिला) स्तरों पर विधिक सहायता वितरण को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. नालसा ने विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने तथा उसकी प्रगति पर नजर रखने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया है।

ii. नालसा ने एंड्रॉइड और आईओएस संस्करण के लिए एक विधिक सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो विधिक सहायता, विधिक सलाह, प्राप्त करने, आवेदन की ट्रैकिंग, पीड़ित प्रतिकर के लिए आवेदन करने, आदि की सुविधा प्रदान करता है।

iii. विधिक सेवा प्राधिकरण भी आईवीआरएस प्रौद्योगिकी के माध्यम से नालसा के राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के माध्यम से विधिक सलाह प्रदान कर रहे हैं।

भारत सरकार, वर्ष 2023-24 से नालसा के माध्यम से विधिक सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस) नामक एक केन्द्रीय सेक्टर स्कीम को भी कार्यान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन विधिक सहायता के लिए पात्र फायदाग्राहियों को आपराधिक मामलों के संबंध में विधिक सहायता प्रदान करना है। कर्नाटक एसएलएसए द्वारा बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण और मैसूरु सहित जिला और तालुका स्तर के न्यायालयों में विधिक सहायता परिदान करने के लिए डिजिटल अवसंरचना ढांचे को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं, जिनमें एलएडीसीएस कार्यालय के डिजिटल और अन्य अवसंरचना दोनों के लिए 15 लाख रुपए का उपयोग किया गया है:

i. एलएडीसीएस कार्यालय में एलएडीसी काउंसेलों के लिए एससीआर की तरह डिजिटल ई-जनरल तक पहुंच के लिए वाई-फाई सुविधाएं प्रदान की गईं।

ii. एलएडीसी काउंसेलों को उनके दिन प्रति दिन के कार्य के लिए कंप्यूटर, मॉनिटर और प्रिंटर उपलब्ध कराए जाते हैं।

iii. एलएडीसी काउंसेल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यायालय कार्यवाहियों में उपस्थित हो सकते हैं।

*****

**<u>उपाबंध-क</u>**

**विधिक सहायता और डिजिटल न्याय वितरण तक पहुंच के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3296, जिसका उत्तर तारीख 08.08.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरण का नाम | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अंदमान व निकोबार द्वीप | 134 | 220 | 341 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 9,473 | 8,265 | 11,266 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 5,559 | 5,696 | 9,236 |
| 4 | असम | 38,335 | 63,749 | 82,694 |
| 5 | बिहार | 2,09,809 | 1,51,413 | 84,505 |
| 6 | चंडीगढ़ | 2,653 | 2,822 | 2,951 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 44,106 | 62,164 | 80,874 |
| 8 | दादरा और नागर हवेली | 28 | 55 | 45 |
| | दमण और दीव | 24 | 34 | 119 |
| 9 | दिल्ली | 96,433 | 1,21,882 | 76,526 |
| 10 | गोवा | 2,041 | 1,558 | 1,889 |
| 11 | गुजरात | 32,422 | 40,569 | 50,467 |
| 12 | हरियाणा | 43,098 | 76,863 | 82,194 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 5,998 | 7,346 | 6,222 |
| 14 | जम्मू-कश्मीर | 7,992 | 11,396 | 18,602 |
| 15 | झारखंड | 1,45,217 | 2,69,303 | 3,28,365 |
| **16** | **कर्नाटक** | **45,663** | **53,406** | **51,245** |
| 17 | केरल | 23,418 | 36,498 | 26,571 |
| 18 | लद्दाख | 711 | 505 | 324 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 1 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 1,91,921 | 2,25,510 | 2,33,009 |
| 21 | महाराष्ट्र | 36,663 | 53,756 | 59,454 |
| 22 | मणिपुर | 26,929 | 62,635 | 99,062 |
| 23 | मेघालय | 2,769 | 2,371 | 2,754 |
| 24 | मिजोरम | 5,038 | 4,801 | 3,713 |
| 25 | नागालैंड | 7,390 | 4,603 | 5,012 |
| 26 | ओडिशा | 11,880 | 19,289 | 22,134 |
| 27 | पुडुचेरी | 788 | 621 | 616 |
| 28 | पंजाब | 56,448 | 60,361 | 65,513 |
| 29 | राजस्थान | 13,472 | 20,290 | 22,216 |
| 30 | सिक्किम | 1,127 | 1,074 | 901 |
| 31 | तमिलनाडु | 49,570 | 45,180 | 52,528 |
| 32 | तेलंगाना | 12,615 | 13,193 | 16,021 |
| 33 | त्रिपुरा | 5,055 | 9,964 | 10,303 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 24,890 | 29,079 | 22,732 |
| 35 | उत्तराखंड | 5,386 | 21,339 | 34,208 |
| 36 | पश्चिमी बंगाल | 49,714 | 62,354 | 92,914 |
| **कुल** | | **12,14,769** | **15,50,164** | **16,57,527** |

**********